सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी / निदेशक
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्याणपुर, कानपुर।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी राजीव दुबे पुत्र [illegible] चन्द्र दुबे ग्राम गोपीनाथपुर पोस्ट ब्रह्मावर्त जनपद कानपुर का रहने वाला है आपके संस्थान में कार्यरत हैं दिनांक 7-2-1990 से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज दाखिल करके मजदूर के पद पर कार्यरत अखिलेश पुत्र [illegible] यादव के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर सूचनायें दिलाये जाने की कृपा करें :-

1- अखिलेश द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करके नौकरी प्राप्त की है। के सम्बन्ध में निदेशक महोदय द्वारा किस तिथि से जाँच करायी जा रही है।

2- अखिलेश द्वारा कूटरचित दस्तावेज दाखिल करके नौकरी प्राप्त करने के प्रकरण में अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है। क्या जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी।

3- अखिलेश की नियुक्ति के समय उनके दस्तावेजों की जाँच करायी गयी थी कि नहीं। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं की सूचनायें समयावधि के अन्दर दिलाये जाने की कृपा करें। 650

संलग्न :- पोस्टल आर्डर संख्या- 33F 672251

प्रार्थी
Rajeev Dubey
राजीव दुबे पुत्र [illegible] चन्द्र दुबे
निवासी गोपीनाथपुर पो० ब्रह्मावर्त
जनपद कानपुर नगर
दिनांक :- 05/02/2016

464
29/2/16

सं.-25(52)/2016/RTI/9

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन- 2570541, 542

फैक्स- 0512-2570247

कानपुर,दिनांक-04.3.2016

जारी
संख्या 723
दिनांक 07/03/16

सेवा में,

श्री राजीव दुबे सुत श्री ध्यानचंद्र दुबे,
निवासी ग्राम गोपीनाथपुर,
पो.आ.- बरूआ उत्तरी,
जनपद-सुल्तानपुर (उ.प्र.)

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राजीव दुबे द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दि. 05.2.2016 के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना बिंदुवार निम्नवत है-

1. श्री अच्छेलाल की जन्मतिथि से सम्बंधित शिकायतों के आधार पर संस्थान द्वारा दिनांक 23-11-2013 को प्राथमिक जांच के आदेश दिए गए। तत्पश्चात विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं तथा आख्याओं के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा CCS(CCA) केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत उन्हे आरोप पत्र दिनांक 18 -12 -2015 को जारी किया गया।

2. आपके द्वारा पूछे गये प्रश्न बिंदु 2 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जांच कर रहे सक्षम अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्राप्त करे जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा चाहे गये मुद्दों पर जानकारी दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होने वाली आख्याओं पर निर्भर रही है । अतः मांगी गई सूचना कार्यालय अभिलेखों में exist नहीं करती है।

3. इसी प्रकार बिंदु 3 के संदर्भ में यह सूचित किया जा रहा है कि अच्छेलाल की नियुक्ति के समय उनके दस्तावेजों की जांच कार्यालय अभिलेखों के अनुसार नहीं की गई थी एवं इसका कारण कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं –

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कानपुर– 208017

भवदीय

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी